न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(पी0सी0 बेरवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र 14(4) संख्याः 12/2013

दायर दिनांक : 03.10.2013

निर्णय दिनांक : 24.10.2017

श्री सोहन सिंह पिता सावंन्त सिंह जी राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी खटामला, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द
2. श्री भेरू सिंह पिता गंगा सिंह राजपूत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द
3. श्री सोहन सिंह पिता गंगा सिंह राजपूत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(नियम 4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द प्रकरण संख्या 432/1978 आवंटन दिनांक 15.12.1978 राजस्व गांव खटामला गंगासिंह बनाम राजस्थान राज्य के आवंटन को निरस्त करने

उपस्थितः—

1 श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता, प्रार्थी

2. श्री कैलाश चन्द्र बोल्या, राजकीय अधिवक्ता

3. अप्रार्थी संख्या 02 व 03 अनुपस्थित।

::निर्णय::

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 15.12.1978 बअनवान गंगासिंह बनाम सरकार प्रकरण संख्या 432/1978 भू आवंटन से व्यथित होकर यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (अकृषि भू आवंटन नियम 1970) के अन्तर्गत इस न्यायालय में दिनांकः 03.10.2013 को प्रस्तुत किया हैं जिसमें यह तथ्य अंकित किया हैं कि राजस्व गांव खटामला तहसील राजसमन्द मे स्थित तत्कालीन आ0नं0 1420 मे से 11.00 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पिता को उपखण्ड अधिकारी महोदय राजसमन्द के द्वारा जरिये मिसल संख्या 432/1978 को दिनांक 15.12.1978 को गंगासिंह पिता वगतसिंह राजपूत को आवंटित हुई थी जिसके वर्तमान आ0नं0 1837/1420 रकबा 11.00 बीघा भूमि होकर अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के नाम पर गैर खातेदारी के रूप मे दर्ज है। उक्त आवंटन श्री गंगासिंह राजपूत को हुआ था, वह विधि विरूद्ध है, आवंटन के समय भूमि आवंटन के नियमों की पालना नहीं की गई आवंटन कमेटी मौके पर मौजूद नहीं थी आवंटन कमेटी में कम से कम 2 जनप्रतिनिधि होना आवश्यक था लेकिन बिना जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में उक्त भूमि आवंटन की गयी है। इस प्रकार नियमों की पालना किये बिना ही उक्त आवंटन किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं उसके पुर्वाधिकारीयों का कब्जा आधिपत्य होकर उनके हक अधिकार की भूमि है। फिर भी आवंटन अधिकारी के द्वारा भूमि का आवंटन किये जाने में विधिक भुल की है। वक्त आवंटन उक्त भूमि के आराजी नं0 1420 रकबा 22.07 बीघा मूल आराजी के रूप में दर्ज थी। उक्त भूमि के साबिक आराजी नं0 957/3 मि0 थे। खसरा पत्रक में भी उक्त भूमि पर कब्जा आधिपत्य प्रार्थी के पुर्वाधिकारी के नाम पर दर्ज था बल्कि कब्जा पट्टे के आधार पर दर्ज था। उक्त भूमि मेवाड सेटलमेन्ट के समय श्री विट्ठलनाथ जी का भण्डार नाथद्वारा ठीकाना के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज थी जिनके द्वारा उक्त भूमि प्रार्थी के पूर्वाधिकारी को 328/—रू0 मे अन्तरण कर इसका पट्टा प्रार्थी के पूर्वाधिकारी के नाम पर जारी किया था। लेकिन राजस्व रेकार्ड में पट्टे के आधार पर भूमि प्रार्थी के पूर्वाधिकारी जो की अनपढ थे अपने नाम पर खाते मे दर्ज नही करवायी गयी और मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त कर रहे है। इस प्रकार उक्त भूमि का गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पूर्वाधिकारी/पिता

गंगासिंह जी को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध है । गंगासिंह जी का मौके पर कब्जा आधिपत्य नहीं रहा है और न ही विपक्षी संख्या 02 व 03 का आधिपत्य रहा है न ही इन्होने भूमि को विकसित किया है। उक्त भूमि विधिक रूप से आवंटन योग्य नहीं थी। क्योकि उक्त भूमि का हक अधिकार ठीकाना नाथद्वारा भण्डार विट्ठलनाथ जी मन्दिर के द्वारा प्रार्थी के पूर्वाधिकारी को जरिये पट्टे अन्तरण कर दी गयी है। अतः उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 432/1978 के जरिये राजस्व ग्राम खटामला में दिनांक 15.12.1978 को वादग्रस्त भूमि का गंगासिंह राजपूत को किया गया भू–आवंटन निरस्त कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया और उपखण्ड अधिकारी,राजसमंद से आवंटन सम्बंधी पत्रावली तलब की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से बावजूद सूचना के न तो इनके अधिवक्ता एवं न ही अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उपस्थित हैं।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए मुख्य रुप से यह बताया कि वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पूर्वाधिकारी उनके पिता श्री गंगासिंहजी का कभी कोई कब्जा आधिपत्य नहीं था बल्कि प्रार्थी एवं उसके पूर्वाधिकारी का कब्जा आधिपत्य था । वादग्रस्त भूमि मूलतः ठिकाना नाथद्वारा विट्ठलनाथ जी मंदिर की होकर ठिकाना नाथद्वारा द्वारा प्रार्थी के पूर्वाधिकारी को 328/– रुपये का प्रतिफल लेकर पट्टा जारी कर इनको अंतरित कर दी गयी जिसके आधार पर प्रार्थी एवं इनके पूर्वाधिकारी के कब्जे आधिपत्य में चली आ रही हैं। प्रार्थी के पूर्वाधिकारी चूंकि अनपढ़ थे और उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अपने नाम पर दर्ज नहीं करवाया और कब्जा आधिपत्य कर उपयोग उपभोग एवं काश्त करते चले आ रहे हैं। वक्त आवंटन उक्त भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध योग्य भूमि नहीं थी क्योंकि ठिकाना नाथद्वारा द्वारा प्रार्थी के पूर्वाधिकारी को अन्तरित की गयी और इनके कब्जे आधिपत्य में थी ऐसी स्थिति में यह भूमि अन्य को आवंटन नहीं की जा सकती थी। इस तथ्य की जानकारी होते हुए भी आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन किया गया जो कि खारिज किये जाने योग्य हैं। इस तथ्य की पुष्टि खसरा पत्रक में कैफियत के कालम में अंकित नोट व मेवाड़ सेटलमेंट की नकल जमाबंदी से होती हैं। आवंटन के समय भी आवंटन नियमों की कोई पालना नहीं की गयी। वक्त आवंटन 2 जन प्रतिनिधियों का होना आवश्यक होता हैं किन्तु बिना जन प्रतिनिधि के होते हुए भी आवंटन किया गया जो कि भारी विधिक भूल की गयी हैं। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का कोई कब्जा आधिपत्य नहीं हैं और न ही वक्त आवंटन इनके पूर्वाधिकारी था। इनके द्वारा भूमि को विकसित भी नहीं किया हैं तथा उक्त भूमि पर कब्जा आधिपत्य प्रार्थी एवं इसके पूर्वाधिकारी का ही चला आ रहा हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 432/1978 के जरिये राजस्व ग्राम खटामला में दिनांक 15.12.1978 को वादग्रस्त भूमि का गंगासिंह राजपूत को किया गया भू–आवंटन निरस्त कराना फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में बताया कि उपखण्ड अधिकारी,राजसमंद द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पूर्वाधिकारी उनके पिता को तत्समय किया गया भू–आवंटन नियमानूकुल किया गया हैं। राजस्व अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त आवंटित भूमि किस्म बिलानाम होकर आवंटन योग्य भूमि होने से नियमानुसार आवंटित की गयी हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य हैं।

उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का एवं उपखण्ड अधिकारी,राजसमंद से प्राप्त आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया।

प्रार्थी की ओर से यह कहा गया कि वादग्रस्त भूमि ठिकाना नाथद्वारा विट्ठलनाथजी मंदिर की भूमि होने से उनके द्वारा प्रार्थी के पूर्वाधिकारी को 328/– के प्रतिफल पर पट्टा जारी कर उक्त भूमि को अंतरित की गयी और इसके आधार पर ही प्रार्थी व उसके पूर्वाधिकारी का कब्जा आधिपत्य चला आ रहा हैं और वक्त आवंटन भी प्रार्थी के पूर्वाधिकारी का कब्जा था जिसकी पुष्टि भू–प्रबंध के खसरा पत्रक के कैफियत में लगे नोट से होती हैं। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं होते हुए एवं तथ्यों से परिचित होते हुए भी आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन नियमों के परे जाकर किया गया भू–आवंटन नियमानुकूल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत भू–प्रबंध विभाग के खसरा पत्रक,मेवाड़ सेटलमेंट की नकल जमाबंदी के अवलोकन से प्रकट हैं कि वादग्रस्त भूमि खसरा पत्रक के अनुसार भी बिलानाम हैं और मेवाड़ सेटलमेंट की नकल जमाबंदी में भी इसका साबिक नम्बर 957/3 रकबा 161.10 बीघा भूमि बिलानाम किस्म प.III 30.00 बीघा व मगरी 131.10

बीघा के रुप में अंकित हैं, न कि ठिकाना नाथद्वारा के नाम पर दर्ज हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि का 328/– पर किये गये अन्तरण के दस्तावेज की प्रस्तुत फोटो प्रति जो पत्रावली पर उपलब्ध हैं के अवलोकन से भी उसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार की आराजी नम्बर का कोई अंकन आदि भी नहीं हैं, जिससे वादग्रस्त भूमि ठिकानें की भूमि होने की पुष्ठि करता हों। राजकीय सिवायचक/बिलानाम भूमियों का कृषि प्रयोजनार्थ से भू–आवंटन किये जाने का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारियों को हैं। उपखण्ड अधिकारी,राजसमंद की आवंटन पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता श्री गंगासिंह द्वारा दिनांकः 15.12.1978 को वक्त आवंटन प्रस्तुत प्रा0पत्र पर हल्का पटवारी द्वारा यह रिपोर्ट की गयी कि " **आ0नं0 1420 रकबा 22.07 बीघा पर श्री सावंतसिंह, मोहनसिंह पिता उमसिंह,रुपसिंह पिता पृथ्वीसिंह सरदारसिंह पिता नवलसिंह राजपूत का नाजायज कब्जा हैं किन्तु उक्त आराजी दरख्वास्त देईन्दा के नाम अलोट कराने में रजा बन्द हैं।**" इससे प्रार्थी के पूर्वाधिकारियों की रजाबंदी से उक्त वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पिता को भू–आवंटन किया जाना प्रकट हैं। प्रार्थी की ओर से वादग्रस्त भूमि ठिकाना नाथद्वारा द्वारा प्रार्थी के पूर्वाधिकारी को 328/– का प्रतिफल प्राप्त कर पट्टा प्राप्त किया जाना बताया हैं परन्तु प्रस्तुत दस्तावेज एक फोटो प्रति हैं तथा उसका अमल रेकार्ड में नहीं कराना तथा मौके पर सतत् कब्जा होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की हैं तथा नही कोई ठोस कारण बताये हैं। प्रस्तुत मामले में केवल यह देखा जाना हैं कि उपखण्ड अधिकारी,राजसमंद द्वारा वादग्रस्त भूमि का किया गया आवंटन सही हैं अथवा नहीं? वादग्रस्त भूमि राजकीय बिलानाम भूमि हैं और बिलानाम भूमियों का कृषि प्रयोजनार्थ से भू–आवंटन किया जाना उपखण्ड अधिकारी की क्षेत्राधिकारिता में आता हैं। साथ ही प्रार्थी की ओर से यह कहा जाना कि वादग्रस्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 व इनके पूर्वाधिकारी द्वारा कभी विकसित नहीं किया गया अर्थात काश्त नहीं की गयी और इनका कब्जा भी नहीं हैं तो इस सम्बंध में कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किये गये हैं। वादग्रस्त भूमि का वर्ष 1978 में आवंटन भूमिहीन काश्तकार को किया गया हैं। उक्त किये गये भू–आवंटन 39 वर्ष की लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त अब तकनिकी आधार पर खारिज किया न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता हैं। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र आधारहीन होकर खारिज किये जाने योग्य होना पाया जाता हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(पी.सी.बेरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 24.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

(पी.सी.बेरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द